19 April (1) PG Sem-II

संशोधन से पूर्व	संशोधन के पश्चात्
1. संशोधन से पूर्व पंचायती राज एक राजनीतिक संस्था न होकर विकास कार्यों को कार्यान्वित करने वाला संगठन मात्र था। इसमें राजनीतिक दलों की कोई भूमिका नहीं थी तथा पंचायती चुनाव व्यक्तिगत आधार पर होते थे। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का चयन राजनीतिक दलों द्वारा नहीं किया जाता था।	1. इसके विपरीत, संशोधन के पश्चात् अब राजनीतिक दलों को पंचायतों के चुनावों में भाग लेने की अनुमति मिल गई है। इसलिए पंचायती राज हेतु चुनाव दलीय आधार पर होते हैं।
2. संशोधन से पूर्व पंचायतें विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का ही कार्य करती थीं।	2. संशोधन के पश्चात् पंचायतें निर्णय लेने वाले संगठन बन गई हैं जो गांव पर शासन करती हैं।
3. संशोधन से पूर्व पंचायतों में गांव की स्त्रियों एवं कमजोर वर्गों को सशक्तिकरण (Empowerment) का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाता था।	3. संशोधन के पश्चात् स्त्रियों एवं कमजोर वर्गों को आरक्षण की सुविधाएं प्रदान कर उनकी पंचायती राज-व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित हो गई है।
4. संशोधन से पूर्व पंचायती राज का स्वरूप भारत के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में भिन्न-भिन्न प्रकार था।	4. संशोधन के पश्चात् सम्पूर्ण भारत में पंचायती राज का स्वरूप एक-समान (त्रि-स्तरीय) हो गया है।
5. संशोधन से पूर्व प्रत्येक राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश पंचायतों से सम्बन्धित अपने अधिनियम परित करता था।	5. संविधान संशोधन के कारण अधिनियम पारित होने के पश्चात् अब प्रत्येक राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश को केन्द्रीय अधिनियम को अपनाना अनिवार्य है।
6. संशोधन से पूर्व पंचायतों के चुनाव नियमित समय अवधि पर नहीं होते थे। अनेक राज्यों में तो 10-15 वर्ष तक पंचायतों के लिए चुनाव नहीं होते थे।	6. संशोधन के पश्चात् अब प्रत्येक पांच वर्ष बाद पंचायतों के चुनाव करवाना सुनिश्चित किया गया है। अगर किन्हीं कारणों से राज्य सरकार किसी पंचायत को भंग कर देती है, तो ऐसी स्थिति में छह महीनों के अन्दर चुनाव होना है।
7. संशोधन से पूर्व पंचायतों के चुनाव हेतु राज्यों में अलग से न तो किसी चुनाव कमीशन की ही व्यवस्था थी और न ही वित्त कमीशन की।	7. संशोधन के पश्चात् पंचायतों के चुनाव हेतु अलग से एक चुनाव कमीशन एवं वित्त कमीशन की व्यवस्था की गई है।

Scanned with CamScanner

8. संशोधन से पूर्व पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती थी।	8. संशोधन के पश्चात् पंचायतों को केन्द्र एवं सम्बन्धित सरकार से पर्याप्त राशि दिया जाना सुनिश्चत किया गया। साथ ही, अब पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय साधनों द्वारा धन एकत्रित करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं।
9. संशोधन से पूर्व न्याय पंचायती राज व्यवस्था का ही एक अंग थी।	9. संशोधन में राज्यों द्वारा न्याय पंचायतों की स्थापना को अनिवार्य नहीं बनाया गया है।
10. संशोधन से पूर्व पंचायतों को किसी प्रकार के विशिष्ट प्रावधान प्राप्त नहीं थे।	10. संशोधन द्वारा पंचायतों को मद्यनिषेध, भूमि के संरक्षण, जल संसाधनों, गांव के बाजारों एवं विकास के बारे में अनेक विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप परिवर्तित कर दिया है तथा इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था बना दिया है। कमजोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित कर यह अधिनियम ग्रामीण शक्ति संरचना में भी मूलभूत परिवर्तनों को प्रोत्साहन दे रहा है। Shop

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी
(Women Enrolment in Panchayati Raj System)

Short Note

संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के माध्यम से पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था के परिणामस्वरूप, इस समय लगभग 10 लाख स्त्रियों त्रि-स्तरीय ढांचे में अध्यक्ष और सदस्य पदों पर कार्यरत हैं। यह एक बड़ी संख्या है और निश्चित ही इससे अभी तक ठहरी ग्रामीण-व्यवस्था में परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा है। महिलाओं का यह राजनीतिक सशक्तिकरण न केवल महिलाओं के विकास के लिए आवश्यक है अपितु यह उनकी सदियों से दबाई गई रचनात्मक क्षमता को भी समाज के सम्मुख उजागर करता है। पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका को लेकर पूर्व में काफी सर्वेक्षण किए जा चुके हैं। जिनका बुनियादी निष्कर्ष यह है कि महिलाओं की राजनीतिक कार्यक्षमता के विषय में जो भ्रांतियां समाज में व्याप्त थीं उन्हें महिला पंचायत अध्यक्षों ने अपनी कार्य कुशलता एवं कार्य शैली के आधार पर दूर कर दिया है। इससे पुरुष वर्ग उनकी महत्ता समझने लगा है और प्रारम्भ में महिलाओं को जिस प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था अब वह कम होने लगा है।

निर्वाचित महिलाएं अन्य महिलाओं तथा किशोरियों के लिए आदर्श बन गई हैं। अब अधिकांश ग्रामीण महिलाएं अपनी समस्याओं को समुचित निर्वाचित महिला पंचायत अध्यक्षों एवं सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत करती हैं तथा महिला पंचायत अध्यक्ष अपने

Scanned with CamScanner